पुनः समय की मांग की। समय दिया जावे। तत्पश्चात शामिल
की जाकर पत्रावली आगामी पेशी तिथि 07/02/2023
को पेश हो।

07/02/2023 पत्रावली पेश हुई। गैर सायल ने प्रार्थना पत्र पेश कर
स्वयं अपने प्रकरण की पैरवी का निवेदन किया एवं
समस्त वकालतनामा को निरस्त करने की मांग की।
आवेदन शामिल पत्रावली किया जाकर पत्रावली आगामी पेशी
तिथि 14/02/2023 को पेश हो।

14/02/2023 पत्रावली पेश हुई। गैर सायल ने उपस्थित होकर लिखित
जवाब को दोहराकर कार्यवाही निरस्त करने की मांग की।
समस्त पत्रावली का अवलोकन किया गया। तथ्य संक्षेप में
इस प्रकार है कि सरपंच ग्राम पंचायत काजड़ा द्वारा
वादग्रस्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा ग्राम पंचायत को
आवंटित करने का निवेदन किया। जिस पर पटवारी हल्का
द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर गैर सायल को नोटिस
जारी किये गए। गैर सायल ने लिखित तत्पश्चात में निवेदन किया
है कि समस्त गांव काजड़ा निवासी खाता संख्या 01 की भूमि
पर रिहायश कर रहा है, परंतु कोई साक्ष्य पेश नहीं किये।
गैर सायल ने वादग्रस्त भूमि को पट्टाशुदा बताते
हुए बताया है कि रिहायश हेतु मकान बनाकर पूर्वजों के
समय से आबाद हैं। जबकि पटवारी रिपोर्टानुसार कब्जे की
प्रकृति तार बाड़ लगाकर एवं पुराना कमरा है। अतः दोनों तथ्य
विरोधाभासी है। गैर सायल द्वारा पेश पट्टा वादग्रस्त
भूमि का ही है यह स्पष्ट नहीं होता। पेश दस्तावेज जिसे
गैर सायल द्वारा पट्टा कहा जा रहा है केवल छायाप्रति
है। जो कि ना प्रमाणित, ना ही सत्यापित, न ही पंजीकृत है
अतः पट्टे के रूप में स्वीकार्य नहीं है। उक्त दस्तावेज
की वैधता संदिग्ध है। पूर्वजों के समय से निवास का
[illegible] दस्तावेज संलग्न नहीं है।

र सायल द्वारा बताया गया है कि नक्शा दुरुस्ती का दावा विचाराधीन है, साक्ष्य स्वरूप पेश दस्तावेज न प्रमाणित है, न सत्यापित, न ही आज दिनांक तक कार्यवाही पेश की गई है। केवल माह सितम्बर 2022 तक की कार्यवाही की मात्र छायाप्रति संलग्न है। संलग्न दस्तावेज साक्ष्य रूप में स्वीकार्य नहीं किया जा सकता।

जैर सायल द्वारा पेश प्रत्युत्तर में बताया गया है कि वादग्रस्त भूमि का पट्टा लेने हेतु आवेदन किया गया है। जबकि वादग्रस्त भूमि ग्राम पंचायत के खाते में नहीं है। अतः ग्राम पंचायत पट्टा जारी करने हेतु अधिकृत नहीं है।

जैर सायल द्वारा पेश समस्त प्रत्युत्तर निराधार है। जैर सायल द्वारा उक्त भूमि ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने का निवेदन किया गया है। राज्य सरकार की मंशा एवं आदेशानुसार भी उक्त भूमि ग्राम पंचायत को हस्तांतरित की जानी है। उक्त प्रकरण में ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाते हुए अंतिम कार्यवाही करना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता।

अतः आदेश है कि वादग्रस्त खा.नं. 375 किस्म जे.मु. आबादी को ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने की कार्यवाही की जावे। ग्राम पंचायत तदनुसार विधिसम्मत कार्यवाही करें। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के मद्देनजर जैर सायल के विरुद्ध कार्यवाही निरस्त की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आभभाषकता स्वीकार